संख्या-28/2016/228(44)67-1-आयुष-2-2016-39/2016टी0सी0

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 2016

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के अवशेष राज्यांश की बजट व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-316/10/मि0नि0/उ0प्र0, दिनांक 06-09-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं उसके सापेक्ष जारी केन्द्राश की अवशेष धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में करते हुए गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अवशेष कार्यो को सम्पन्न करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए प्राविधानित कुल धनराशि रू0 400000000/-(रूपया चालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष् रू0 90000000/- (रूपये नौ करोड़ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

1- स्वीकृत धनराशि आयुष् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदित कार्य-योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आयुष् मिशन के दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णत: पालन किया जायेगा।
3- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृस्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4- प्रस्तावित कार्यो को समय से कराये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।
5- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-3-2016 के प्रस्तर-8 के अनुसार धनराशि के आहरण की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को यथाशीघ् उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथास्थिति अवशेष धनराशि के समायोजन का उत्तरदायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2016-17 के आय-व्ययक सपठित वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-828/दस-2016-12(2)/2016 दिनांक 01-4-2016 में अनुदान संख्या-34 के लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य(क्रमश)-05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (क्रमश)-102-होम्योपैथी-01केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन (के0-60/रा0-40-के0+रा0)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-1473(बी)/दस-2016 दिनॉक 03-11-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-28/2016/2204(5)/71-आयुष-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
5- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त् संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।